बजट 2020-2021/महत्वपर्ण
अनुस्मारक-।
संख्या-2/2019/ बी-3-1152/दस-2019

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(होमगार्डस, कर एवं निबन्धन, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग राजनैतिक पेंशन, खाद्य एवं रसद, सतर्कता, खेल, मत्स्य उत्पादन, खादी एवं वस्त्रोद्योग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, समन्वय, परती भूमि विकास, भाषा (उर्दू), न्याय, गृह (पुलिस), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन, सार्वजनिक उद्यम, नियोजन, एवं आबकारी विभाग को छोड़कर)

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 17 दिसम्बर 2019

विषयः- वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव के अनुमोदनोंपरान्त तीन प्रतियों में प्रेषित की जाय। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिये विशेष सचिव स्तर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को समन्वय अधिकारी नामित करते हुए उस अधिकारी का नाम पदनाम, मोबाइल नम्बर तथा आवासीय व कार्यालय के टेलीफोन नम्बरों की सूचना उपलब्ध कराने विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र संख्या-1/2019/ बी-3-888/दस-2019, दिनांक 24.10.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त उल्लिखित विभागों को छोड़कर अन्य विभागों से मा0 वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री अभी तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

3- आप अवगत हैं कि वित्तीय वर्ष 2020-2021 के बजट की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। अतएव इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संदर्भित पत्र दिनांक 24.10.2019 द्वारा की गयी अपेक्षानुसार व्यक्तिगत ध्यान देते हुए विलम्बतम दिनांक 20.12.2019 तक मा0 वित्त मंत्री जी के बजट भाषण हेतु सामग्री तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव एवं
वित्त आयुक्त

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।